



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 14 जुलाई, 2025 ई०

आषाढ़ 23, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,

उत्तराखण्ड

सं० 1762/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025

देहरादून, 14 जुलाई, 2025

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या 1759/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 13 जुलाई, 2025 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 503 (एम०बी०) वर्ष 2025 शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिनांक 11 जुलाई, 2025 को पारित आदेश के संबंध में एक स्पष्टता (Clarification) के संबंध में मा० उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने तक "निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि" हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14.07.2025 को उम्मीदवारों हेतु निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित किया गया था।

अतः मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा आज दिनांक 14.07.2025 को सुनवाई के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ० अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 में "निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि" हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14.07.2025 को उम्मीदवारों हेतु निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को आज दिनांक 14.07.2025 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रारम्भ कर सांय 06.00 बजे तक की जायेगी तथा शेष निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही दिनांक 15.07.2025 को प्रातः 08.00 बजे से कार्य समाप्ति तक की जायेगी। आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा०नि०आ० अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय एवं निर्वाचन की अवशेष समस्त कार्यवाहियां पूर्व विनिर्दिष्ट तिथियों के अनुसार ही सम्पादित की जायेंगी।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।